न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **14/2005**

GCMS No. : **2005/00016**

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. धन्ना पुत्र मूला जाति– राईका, निवासी– ग्राम फूलमाल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 31/03/2005

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. तहसीलदार जैतारण पैरोकार राज0।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः 04/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल के स्वर्गीय पिता श्री मूला पुत्र रुघा जी जाति राईका निवासी फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली को उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा भूमि आवंटन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर ग्राम फूलमाल में सिलिंग कानून के तहत अधिग्रहित भूमि खसरा नम्बर 501/446/485 रकबा 10 बीघा किस्म चाही–4 की भूमि दिनांक 16.04.1976 को आवंटित की गई व 10 वर्ष के पश्चात् स्वर्गीय श्री मूला को इस भूमि को खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये व राज्य सरकार को देय राशि मूला द्वारा राज्यसरकार को अदा की गई। मूला उक्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। मूला पुत्र रुघा जी जाति राईका के फौत हो जाने पर ग्राम फूलमाल के म्युटेशन संख्या 447 दिनांक 14.02.1982 को सायल के नाम खातेदारी की कृषि भूमि का सायल खातेदार मूला का एक मात्र उत्ताराधिकारी व वारिस होनें से सायल के नाम फौतदेगी म्यूटेशन भरा गया व राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। म्यूटेशन संख्या 477 के म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ [illegible] जा रही है, जिसे प्रार्थना पत्र का भाग माना जावें व श्री मूला पुत्र [illegible] आवेदन जारी की गई पासबुक व साथ संलग्न नक्शा व सायल के पि[illegible] द्वारा अदा किये [illegible]लगान की रसीदें की फोटों प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। गैरसायलान संख्या दो तहसीलदार जैतारण ने बिना सायल धन्ना के किसी प्रकार खातेदारी भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:35:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ईस्तीफा देनें का प्रार्थना पत्र पेश किये बगैर व बिना किसी प्रकार का कोई जांच किये व बिना सायल को नोटिस दिये व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 95 के तहत बिना इस्तीफा तहसीलदार जैतारण के लिखित प्रमाणिकरण कराये अवैध व गैर कानूनी व फर्जी तथा कथित ईस्तीफा जो सायल ने कभी दिया ही नहीं गांव के पार्टीबाजी व खिलाफ लोगों द्वारा की गई झूठी कार्यवाही के आधार पर बिना धारा 56 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई नोटिस जारी किये बगैर व बिना सायल से कब्जा प्राप्त किये अवैध व गैर कानूनी रूप से गैरसायल संख्या दो तहसीलदार जैतारण के तथाकथित आदेश दिनांक 16.12.1989 के अनुसार इस्तीफा मन्जूर होना दर्शाकर होना दर्शाकर ग्राम फूलमाल तहसील जैतारण के म्युटेशन संख्या 633 दिनांक 05.01.1991 के अनुसार सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन को सायल का खातेदारी से नाम हटाकर सिवाय चक दर्ज कर दी गई। जबकि म्यूटेशन संख्या 633 मौजा फूलमाल अवैध व गैरकानूनी है व काबिज खारिज के है। इसे निरस्त घोषित करवानें का सायल अधिकारी है। म्युटेशन संख्या 633 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। म्युटेशन संख्या 633 रद्द घोषित करवाने का सायल का प्रार्थना पत्र गैरसायलन के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। सायल के खातेदारी काश्तकार होती हुये उक्त सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की जंमीन बाबत् गैरसायल संख्या दो द्वारा भू0राजस्व अधिनियम अधिनियम की धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज कर 91 भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् सायल को नोटिस जारी किया जिसकी फोटो प्रतियां सायल के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सायल को दिनांक 30.12.1993 को उसी खातेदारी की भूमि के बाबत् 91 एल0आर0 एक्ट को नोटिस मिला जिसकी फोटो प्रति साथ पेश की जा रही है। सायल द्वारा यह मालूम पड़ने पर कि उसकी खातेदारी की जमीन गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दी गई है व पटवारी हल्का द्वारा गांव के लोगों से मिलावट कर गलत रूप से इस्तीफे की कार्यवाही करवाकर खातेदारी का इन्द्राज हटवाया इस बाबत् समय समय पर प्रार्थी सायल ने गैरसायल संख्या एक जिला कलेक्टर साहब पाली को रेकर्ड दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.1999 को स्वयं हाजिर होकर प्रस्तुत किया जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिला कलक्टर साहब पाली को दिनांक 19.06.2002 को भी पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है जिस पर गैरसायल संख्या एक कलक्टर साहब पाली द्वारा जांच करवाई गई व इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.09.2002 को मौका फर्द तैयार की गई जिस पर सायल का मौके पर कब्जा व काश्त होना व खातेदारी की भूमि होना पाया गया। पटवारी हल्का फूलमाल की मौका फर्द दिनांक 16.09.2002 व पटवारी हल्का दिनांक 19.09.2002 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ की जा रही हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें व इसके पश्चात् भी बार बार सायल द्वारा गैरसायलान् को रेकर्ड दुरूस्त कर खातेदारी दर्ज कराने का निवेदन किया है जिस पर गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या दो तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 11.03.2003 को यह सूचित किया कि म्यूटेशन संख्या 633 दिनांक 05.01.1991 को खारिज कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें व उसके स्वयं द्वारा यह कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है। गैरसायल संख्या दो तहसीलदार जैतारण के आदेश दिनांक 11.03.2003 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी जैतारण व प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैम्प फूलमाल में सायल द्वारा पुनः उसकी खातेदारी दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें व प्रभारी अधिकारी जी द्वारा सायल को यह कहा गया कि हम तुम्हारी खातेदारी पुनः दर्ज कर देगें। मगर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है व दिनांक 19.03.2005 को पटवारी हल्का फूलमाल ने सायल को उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करनें की ऐलानिया धमकी दी कि वह सायल को विवादित आराजी की जमीन से बेदखल कर देगा व यदि गैरसायलन् द्वारा ऐसा किया गया तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी व ऐसा होने पर सायल को गैरसायलान के विरूद्ध बार बार दिवानी एवं फौजदारी मुकदमें करनें पडेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिग्स होगी। सायल को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये सायल गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 501/446/485 रकबा 10 बीघा किस्म चाही-4 सरहद मौजा फूलमाल तहसील जैतारण की चालू चौशाला की जमाबन्दी खतौनी की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात् के पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा फूलमान तहसील जैतारण में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 501/446/485 रकबा 10 बीघा किस्म चाही-4 में सायल के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल व दस्तदांजी न तो करावें न ही करें ऐसा करनें से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान् को वाद के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थीका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 व 02 को स्वीकार करते हुये। पद संख्या 03 से 07 को अस्वीकार करते हुये सिवाय चक भूमि में अतिक्रमण करनें पर नोटिस दिया जाना सही है। जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करनें की इस्तदुआ की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:35:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(1) **प्रथमदृष्ट्या मामला** :–प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी वर्तमान अभिलेख में सरकारी सिवाय चक दर्ज है, प्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 633 दिनांक 05.01.1991 जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज हुई के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है, प्रार्थी के कथन अनुसार प्रार्थी को तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 30.12.1993 को वादग्रस्त आराजी से बेदखली हेतु धारा 91 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि प्रार्थी के स्वयं के कथन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त सरकारी भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा किसी भी अतिक्रमी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिंदू प्राथी के विरुद्ध स्थापित होता है।

(2) **सुविधा का संतुलन** :– चुंकि प्रार्थी सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिचारी है तथा किसी भी विधि–विरुद्ध कृत्य से कोई अधिकार सृजित या निहित नहीं हो सकते हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

(3) **अपूरणीय क्षति** :– चुंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है तथा भूमि भू–अभिलेख में खाता सरकार अंकित है, ऐसी दशा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से खातेदार सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंकां है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: *आदेश* :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:35:49 IST
Reason: SelfAttested